भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1173

11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- किसानों के कल्याण संबंधी उपाय

1173. **श्री बी. मणिक्कम टैगोरः**
श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार किसानों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप, विशेषकर वर्तमान कृषि संकट के मद्देनजर किसानों को किस हद तक कोई लाभ नहीं मिला है;
(ख) सरकार द्वारा विगत कुछ वर्षों में किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 70 प्रतिशत किसानों के पास छोटी जोत है, सरकार का किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करने का प्रस्ताव है;
(घ) क्या आगामी बजट में आय समर्थन, भूमि सुधार और ऋण तक बेहतर पहुंच के लिए लक्षित प्रावधान शामिल हैं, यदि हां, तो ब्यौरा क्या है;
(ङ) सरकार का यह किस प्रकार सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि इन सुझावों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और उनके राजनीतिक उपयोग को रोकने के लिए उठाए गए कदम, यदि कोई हैं, क्या हैं;
(च) सरकार का आगामी बजट में जल की कमी, न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल बीमा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किस प्रकार करने का प्रस्ताव है; और
(छ) क्या किसानों के लिए सार्थक प्रावधान किए जाएंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): कृषि राज्य का विषय है और भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का समर्थन करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम किसानों के उत्पादन, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता बढ़ाकर उनके कल्याण के लिए हैं। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के दौरान 21933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 के दौरान 1,22,528.77 करोड़ रुपये कर दिया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई योजनाओं/कार्यक्रमों की अवधारणा और कार्यान्वयन छोटी जोत वाले किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार, ऋण तक पहुंच और किसानों की समग्र आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में लाभकारी रिटर्न को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई जिसका एकमात्र उद्देश्य छोटी भू-जोत वाले किसानों की आय को बढ़ाना है। इस योजना के तहत किसानों को तीन बराबर किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये दिए जाते हैं। अब तक, 18 किस्तों में पात्र किसानों को 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि संवितरित की जा चुकी है।

किसानों की समग्र आय बढ़ाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं:

1. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)

2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/ पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
3. संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस)
4. एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
5. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन और संवर्धन
6. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)
7. नमो ड्रोन दीदी
8. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
9. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
10. स्टार्ट-अप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड (एग्रीश्योर)
11. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
12. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
13. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
14. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएचएंडएफ)
15. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
16. कृषि वानिकी
17. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
18. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
19. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
20. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
21. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
22. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
23. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
25. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
26. डिजिटल कृषि मिशन
27. राष्ट्रीय बांस मिशन

पीएम-आशा (प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान) योजना किसानों की उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करती है और संकटपूर्ण बिक्री को रोकती है। इसका उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र को मजबूत करना और किसानों को बेहतर मूल्य समर्थन प्रदान करना है।

6865 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ नए **10,000 एफ.पी.ओ. का गठन और संवर्धन।** किसानों को बाजारों में सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति देने के साथ-साथ छोटे किसानों को संसाधनों को एकत्र करने, प्रौद्योगिकी तक पहुँच बनाने और अपनी फसलों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) स्थापित किए जा रहे हैं।

एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) योजना 01 लाख करोड़ रूपए के वित्तीय प्रावधान के साथ शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोत्तर प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा जुटाना है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत निम्नलिखित सहायता प्रदान की जा रही है।

ब्याज छूट: इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत सभी ऋणों पर 2 करोड़ रूपए की सीमा तक 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज छूट मिलती है। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध है। 2 करोड़ रूपए से अधिक के ऋणों के मामले में, ब्याज छूट 2 करोड़ रूपए तक सीमित है।

क्रेडिट गारंटी: माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट योजना के तहत इस वित्तपोषण सुविधा से पात्र उधारकर्ताओं के लिए 2 करोड़ रूपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध है। इस कवरेज के लिए शुल्क सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। एफ.पी.ओ. के मामले में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की एफ.पी.ओ. प्रमोशन योजना के तहत बनाई गई सुविधा से क्रेडिट गारंटी का लाभ उठाया जा सकता है।

संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस) विभिन्न वित्तीय संस्थानों (बैंक, आरआरबी, पीएसीएस, आदि) को केसीसी के माध्यम से किसानों को 7% की निश्चित दर पर अल्पकालिक कृषि संचालन ऋण देने के लिए 1.5% का ब्याज छूट प्रदान करती है। यदि किसान समय पर ऋण चुकाता है, तो उसे 3% का त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) मिलता है, जिससे उसकी ऋण देयता कुल मिलाकर 4% (7% से घटकर 3%) हो जाती है। यह विशेष रूप से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से संचालित होता है।

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (एनएमईओ-तिलहन) दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 को रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी प्रमुख प्राथमिक तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के साथ-साथ कपास के बीज, चावल की भूसी और वृक्ष जनित तेलों जैसे द्वितीयक स्रोतों से संग्रह और निष्कर्षण दक्षता बढ़ाने के लिए मिशन शुरू किया गया है। मिशन का लक्ष्य प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन (2022-23) से बढ़ाकर वर्ष 2030-31 तक 69.7 मिलियन टन करना है। एनएमईओ-ओपी (ऑयल पाम) के साथ, मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को 25.45 मिलियन टन तक बढ़ाना है, जो हमारी अनुमानित घरेलू आवश्यकता का लगभग 72% पूरा करेगा। गुणवत्तायुक्त बीजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, मिशन 'बीज प्रमाणीकरण, ट्रेसेबिलिटी और समग्र सूची (एसएटीएचआई)' पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन 5-वर्षीय रोलिंग बीज योजना शुरू करेगा, जिससे राज्यों को सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) और सरकारी या निजी बीज निगमों सहित बीज उत्पादक एजेंसियों के साथ अग्रिम टाई-अप करने में मदद मिलेगी। बीज उत्पादन के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में 65 नए बीज केंद्र और 50 बीज भंडारण इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

(घ) से (छ) : आगामी बजट में आय सहायता, ऋण तक पहुंच में सुधार और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए हैं:

केसीसी के माध्यम से बढ़ाया गया ऋण :- 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए अल्पावधि ऋण की सुविधा के लिए ऋण राशि को 3 लाख रूपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया।

दलहन में आत्मनिर्भरता :- तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ 6 वर्ष का मिशन शुरू करना, जलवायु अनुकूल बीजों के विकास और व्यावसायिक उपलब्धता पर बल देना, प्रोटीन सामग्री को बढ़ाना, उत्पादकता में वृद्धि करना और फसलोपरांत भंडारण और प्रबंधन में सुधार करना, किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना।

उच्च उपज के बीजों पर राष्ट्रीय मिशन :- उच्च उपज, कीट प्रतिरोध और जलवायु अनुकूल वाले बीजों का लक्षित विकास और प्रसार।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना - 100 जिलों को कवर करने के लिए कृषि जिला कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है।

कपास उत्पादकता मिशन :- कपास की खेती की उत्पादकता और स्थिरता में सुधार लाने के लिए 5-वर्षीय मिशन शुरू किया जाएगा।

बिहार में मखाना बोर्ड :- उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन और एफ.पी.ओ. के संगठन में सुधार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव है ।

*****